रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 1989/ श्रावण 3, 1911
No. 441] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 1989/SRAVANA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1989

का.आ. 569 (अ) :—भारत सरकार ने ऐसे नाशक जीवमारों के, जिनके प्रयोग पर अन्य देशों में पाबंदी या निर्बंधन लगे हुए हैं, भारत में निरन्तर प्रयोग का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से एक विशेषज्ञ समिति कायम की थी।

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन कायम की गई रजिस्ट्रीकरण समिति के परामर्श से कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित आदेश पारित करती है :—

(1) क्लोरोबेंजीलेट के कृषि में प्रयोग पर पाबंदी लगाई जाती है। यदि अपेक्षित हो तो इसे सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा आयात किया जा सकता है और मधु-मक्खियों के सूक्ष्म कीटों पर नियंत्रण करने के लिए मधुमक्खीपालकों को उपलब्ध कराने के लिए फालबेक्स स्ट्रिप तैयार की जा सकती है।

(2) डाइब्रोमो-क्लोरोप्रोपेन (डीबीसीपी) पर पाबंदी लगाई जाती है और अनेक रजिस्ट्री कराने वालों को रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं।

(3) टाक्साफीन (कैमफैक्लोर) पर पाबंदी लगाई जाती है और अनेक रजिस्ट्री कराने वालों को रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं।

(4) सोडियम साइनाइड के प्रयोग को विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के अधीन भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार द्वारा कपास की गांठों के धूमन के लिए निर्बंधित किया जाएगा।

(5) पेण्टा-क्लोरो-नाइट्रो-बेंजीन (पीसीएनबी) पर पाबंदी लगाई जाती है और अनेक रजिस्ट्री कराने वालों को रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं।

(6) कैप्टन और कैप्टाफोल को केवल बीज ड्रेसर के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। उनके पर्णिल फुहार के रूप में प्रयोग पर पाबंदी लगाई जाती है।

(7) इन कीटनाशियों के विनिर्माण और आयात के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के सभी धारकों को अपने-अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 31 जलाई, 1989 तक सचिव, रजिस्ट्रीकरण समिति, पीपी, यू एण्ड एम निदेशालय, एम एच-4, फरीदाबाद (हरियाणा) को वापिस कर देने चाहिएं।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन न किए जाने या उनकी परिशुद्धि को इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर कार्य संचालन की अनुज्ञा या अनुमोदन नहीं समझा जाएगा।

(9) नियत तारीख तक प्रस्तुत न किए गए प्रमाणपत्रों को रद्द किया गया समझा जाएगा।'

[सं. 17-115/88-पी पी आई]

बी. नरसिंहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1989

S. O. 569 (E).—Whereas the Government of India had set up an Expert Committee with a view to reviewing the continued use in India of pesticides that are either banned or restricted for use in other countries.

Now, therefore, after considering the recommendations of the said Expert Committee, and in consultation with the Registration Committee, set up under the Insecticides Act, 1968, the Central Government, in exercise of the powers conferred on it, under sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968, hereby passes the following order :—

(1) Chlorobenzilate is hereby banned for use in agriculture. If required it can be imported by Government|Semi-Government. Organisations and prepared folbex strips for making it available to be keepers for controlling mites of honeybees.

(2) Dibromo-Chloropropane (DBCP) is hereby banned and the registration certificates issued by the Registration Committee to various registrants shall stand cancelled.

(3) Toxaphene (Camphechlor) is hereby banned and the registration certificates issued by the Registration Committee to various registrants shall stand cancelled.

(4) The use of Sodium Cyanide shall be restricted for fumigation of cotton bales by Plant Protection Adviser to the Government of India under expert supervision.

(5) Penta-Chloro-Nitro-Benzene (PCNB) is hereby banned and the registration certificates issued by the Registration Committee to various registrants shall stand cancelled.

(6) Captafol shall be used only as seed dresser. Its use as foliar spray is hereby banned.

(7) All the holders of the registration certificates for manufacture and import of these insecticides should return their registration certificates to the Secretary, Registration Committee, Directorate of PP, Q&S, NH-IV Faridabad (Haryana) by the 31st July, 1989.

(8) Non-endorsement or correction of the riegisration certificates will not be taken as permission or approval to operate upon original certificate of registration in contravention of the provisions of this order.

(9) Certificates not submitted by the due date shall be deemed to have been cancelled.

[No. 17-115|88-PPI]

B. NARASIMHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989